International Journal Of Advances In
ENGINEERING, SCIENCE, COMMERCE, MANAGEMENT AND LAW

International Journal of Advances in Engineering, Science, Commerce, Management, and Law
ISSN : 3048-8427 (Multidisciplinary, Multi-Lingual, Peer Reviewed Open Access Journal)

Original Article

भारत में जनजातियों की आर्थिक स्थिति एवं रोजगार के अवसरों के विभिन्न प्रावधान: छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में

श्रीमती उमा नन्दिनी जायसवाल

सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र)

शासकीय वेदराम महाविद्यालय, मालखरौदा,

जिला-सक्ती (छ.ग.)

1. सारांश (Abstract):

यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति और उनके लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जांच करता है। भारत में जनजातियाँ सदियों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से उपेक्षित रही हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहाँ जनजातीय आबादी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कई सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इस शोध में प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर जनजातीय समुदायों की आय के स्रोत, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम, गोबरधन योजना आदि की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। यह शोध नीति निर्माताओं को जनजातियों के समावेशी विकास हेतु उपयुक्त रणनीतियाँ तैयार करने में सहायता प्रदान करता है।

कीवर्ड्स: जनजातियाँ, आर्थिक स्थिति, रोजगार अवसर, छत्तीसगढ़, नीति प्रावधान

2. परिचय (Introduction)

भारत एक बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी और बहुजातीय राष्ट्र है, जहाँ जनजातियाँ (Scheduled Tribes - STs) भारत की सामाजिक संरचना का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण भाग हैं। ये समुदाय भारत की जनसंख्या का लगभग 8.6% हिस्सा बनाते हैं (जनगणना 2011 के अनुसार)। जनजातियाँ आमतौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन पद्धति अपनाती हैं और ऐतिहासिक रूप से मुख्यधारा से भिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में जीवन यापन करती रही हैं।

साहित्य समीक्षा (Literature Review):

भारत में जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति पर कई शोध किए गए हैं। डॉ. वीरेंद्र कुमार की पुस्तक "Tribal Economy in India" जनजातीय जीवन की विषमता को दर्शाती है। नेशनल सैंपल सर्वे और आर्थिक सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़े यह संकेत देते हैं कि जनजातियाँ गरीबी, बेरोजगारी, और कम शिक्षा स्तर से प्रभावित हैं। सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं जैसे मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम (2006), प्रधानमंत्री आदिवासी विकास मिशन, गोबरधन योजना, और स्किल इंडिया अभियान का उद्देश्य जनजातीय जीवनस्तर को सुधारना है। छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में, "Economic Survey of Chhattisgarh" और Tribal Research Institute, Raipur की रिपोर्टें महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं। फिर भी, नीति कार्यान्वयन और जमीनी वास्तविकताओं के बीच एक अंतर दिखाई देता है।

जनजातियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो स्पष्ट होता है कि ये समुदाय प्राचीन काल से ही वनों, पर्वतीय क्षेत्रों और दूरस्थ अंचलों में निवास करते आ रहे हैं। ब्रिटिश काल में औपनिवेशिक शोषण और स्वतंत्र भारत के आरंभिक विकास मॉडल में उनकी उपेक्षा के चलते उनकी आर्थिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। हालांकि संविधान में अनुसूचित जनजातियों को विशेष संरक्षण और सुविधाएँ देने की बात की गई है, लेकिन आज भी ये समुदाय गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य, जो कि वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश से पृथक होकर अस्तित्व में आया, भारत के उन चुनिंदा राज्यों में है जहाँ जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत अत्यधिक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का लगभग 30.6% हिस्सा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। राज्य के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, सरगुजा, कोरिया और जशपुर जैसे जिले जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं।

इन जनजातीय समुदायों की आजीविका मुख्यतः वनोपज संग्रह, कृषि, पशुपालन और मजदूरी पर आधारित है। आधुनिक आर्थिक विकास की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी न्यून है। संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद, जनजातियाँ सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ी मानी जाती हैं। इस असंतुलन का प्रमुख कारण है—प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों में कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की अल्प उपलब्धता, और शासन-प्रशासन की योजनाओं तक उनकी सीमित पहुँच।

राज्य व केंद्र सरकारों द्वारा जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं जैसे कि मनरेगा, वन अधिकार अधिनियम (2006), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), गोबरधन योजना, और छत्तीसगढ़ राज्य की "नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी योजना"। इन योजनाओं का उद्देश्य है—रोजगार के अवसर बढ़ाना, आय के स्रोतों का विस्तार करना, और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करना। बावजूद इसके, योजनाओं का प्रभाव क्षेत्रीय विषमता, प्रशासनिक जटिलताओं और नीति क्रियान्वयन की कमजोरियों से बाधित होता रहा है।

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य है—छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय समुदायों की वर्तमान आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना, उनके रोजगार के अवसरों की उपलब्धता और उपयोगिता का मूल्यांकन करना, तथा यह समझना कि सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ किस हद तक इन समुदायों की स्थिति को बेहतर बनाने में सफल रही हैं।

इस सन्दर्भ में कुछ मुख्य शोध प्रश्न निम्नलिखित हैं:

- छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों की वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है?
- उनके लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों की वास्तविक स्थिति क्या है?
- सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव पड़ा है?

किन क्षेत्रों में और नीतिगत सुधार की आवश्यकता है?

परिकल्पना (Hypothesis):

एच1: छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ आर्थिक रूप से मुख्यधारा से पिछड़ी हुई हैं।

एच2: सरकारी योजनाएँ जनजातीय रोजगार और आय में सुधार लाने में आंशिक रूप से सफल रही हैं।

अध्ययन क्षेत्र (Study Area):

छत्तीसगढ़ राज्य के सक्ती, बस्तर, दंतेवाड़ा, सरगुजा, नारायणपुर जिलों के जनजातीय बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्र।

शोध पद्धति (Research methodology):यह अध्ययन प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है और यह प्रयास करता है कि एक समावेशी और यथार्थपरक दृष्टिकोण से जनजातियों की आर्थिक स्थिति और रोजगार से जुड़ी संभावनाओं को उजागर किया जाए। यह शोध न केवल शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह नीति निर्माताओं को भी एक ठोस दिशा प्रदान कर सकता है, जिससे योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सके और जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

3. अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति: एक समकालीन विश्लेषण

भारत के जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति का आकलन करते समय यह आवश्यक हो जाता है कि हम उनकी जीवनशैली, आय के स्रोत, संसाधनों तक पहुंच, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि स्वामित्व, और सामाजिक सुरक्षा जैसे पहलुओं का समग्र मूल्यांकन करें। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या लगभग 30.6% है, वहाँ यह विषय और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

छत्तीसगढ़ की जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है, जिसमें से लगभग 78 लाख लोग अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं (Census of India, 2011)। राज्य के बस्तर, सरगुजा, जशपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिले जनजातीय बहुल क्षेत्र हैं।

3.1 आय के स्रोत एवं रोजगार की प्रकृति जनजातीय समुदायों की आजीविका मुख्यतः पारंपरिक संसाधनों पर आधारित है: कृषि और सम्बद्ध कार्य: लगभग 70% जनजातीय परिवार कृषि या उससे सम्बंधित कार्यों पर निर्भर हैं। भूमि सीमित, असिंचित और वर्षा पर निर्भर है। वनोपज एवं जंगल पर निर्भरता: लगभग 20% जनजातीय आबादी लघु वनोपज जैसे तेंदूपत्ता, महुआ, साल बीज, इमली आदि के संग्रह पर निर्भर है। दिहाड़ी मजदूरी: शेष 10% परिवार निर्माण कार्यों, ईंट-भट्टों या शहरों में मौसमी मजदूरी पर आधारित हैं।

3.2 गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO, 2011-12) के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का

47% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत और अधिक है। यह स्थिति दर्शाती है कि आर्थिक विकास के लाभ इन समुदायों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाए हैं।

3.3 शिक्षा एवं मानव पूंजी की स्थिति शिक्षा आर्थिक सशक्तिकरण का मूल आधार है, किंतु अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर 59% है, जो राज्य के औसत 70.3% से काफी कम है। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक कौशल में भागीदारी नगण्य है, जिससे इनके आर्थिक विकल्प सीमित रह जाते हैं।

3.4 भूमि स्वामित्व और संसाधनों तक पहुँच हालांकि कई जनजातियाँ वर्षों से वनों में निवास कर रही हैं, फिर भी उनके पास भूमि अधिकारों की वैधानिक पुष्टि नहीं हुई है। वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार दिये गए हैं, परंतु बहुत से दावों का अभी भी निपटारा लंबित है।

3.5 सामाजिक सुरक्षा और आधुनिक संसाधन जनजातीय समुदायों की पहुंच बैंकों, बीमा, स्वास्थ्य सेवाओं, और डिजिटल संसाधनों तक सीमित है। इससे उनकी आर्थिक समावेशन (financial inclusion) की प्रक्रिया बाधित होती है। कई बार सरकारी योजनाओं की जानकारी या साक्षरता की कमी के कारण वे लाभ से वंचित रह जाते हैं।

3.6 आर्थिक असमानता एवं विकास की बाधाएँ अनुसूचित जनजातियाँ संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों में निवास करती हैं, किंतु उन संसाधनों के उपयोग, स्वामित्व और लाभ में उनकी भागीदारी सीमित है। खनन, औद्योगीकरण, और वन अधिकारों के उल्लंघन ने उन्हें विस्थापन, बेरोजगारी और सांस्कृतिक संकट की ओर धकेला है।

निष्कर्षतः, अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति अभी भी अस्थिर और असमान है। परंपरागत संसाधनों पर अत्यधिक निर्भरता, शिक्षा की कमी, भूमि अधिकारों की अनिश्चितता और योजनाओं की सीमित पहुंच ने इन्हें विकास की मुख्यधारा से अलग रखा है। हालांकि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन और समुदाय आधारित विकास ही वास्तविक परिवर्तन ला सकता है।

4. रोजगार के अवसरों का सृजन और राज्य सरकार की योजनाएँ

छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में स्थायी रोजगार के अवसरों का सृजन अत्यंत आवश्यक है। रोजगार केवल आय का स्रोत ही नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय लेने की क्षमता को भी मजबूती प्रदान करता है।

राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएँ चलाई गई हैं, जो स्वरोजगार, उद्यमिता, कौशल प्रशिक्षण, और समूह आधारित आजीविका पर केन्द्रित हैं।

4.1 स्व-सहायता समूह आधारित रोजगार योजनाएँ (SHGs) छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (Bihan) के अंतर्गत महिला SHGs को बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, एवं विपणन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्ष 2023 तक लगभग 2.8 लाख महिला समूह गठित किए जा चुके हैं, जिनमें से कई ने आजीविका आधारित लघु उद्योग जैसे मसाला निर्माण, अगरबत्ती, साबुन, आचार, बेकरी, टिफिन सेवाएँ आदि प्रारंभ किए हैं। उदाहरण: जशपुर जिले की "एकता महिला समूह" ने जैविक सब्जियों की पैकेजिंग एवं बिक्री द्वारा प्रति माह ₹40,000 तक की आय अर्जित की।

4.2 महिला कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा महिलाओं को टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर, E-Rickshaw चलाना, और डिजिटल साक्षरता जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। विशेष रूप से अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को आवासीय प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से जोड़ा गया है।

2022-23 में लगभग 60,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

4.3 महिला उद्यमिता को बढ़ावा राज्य में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं:

मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता योजना: महिलाओं को ₹ स्टार्टअप छत्तीसगढ़: नवाचार आधारित महिला स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग और एक्सपोजर दिया जाता है। आजिविका हाट: महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन हेतु राज्य स्तरीय मेले और डिजिटल पोर्टल उपलब्ध

कराए गए हैं।

4.4 मनरेगा में महिला भागीदारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। वर्तमान में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी लगभग 48% है। इसके माध्यम से वे खेती से इतर समय में आय अर्जित कर पाती हैं।

4.5 नई पहलें और नवाचार C-Mart (छत्तीसगढ़ मार्ट): राज्य सरकार द्वारा निर्मित उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म, जिसमें महिला SHGs की प्रमुख भागीदारी है गोधन न्याय योजना: गाय के गोबर की खरीदारी के माध्यम से महिला समूहों को वर्मी कंपोस्ट एवं जैविक उत्पादों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन।

4.6 प्रभाव और चुनौतियाँ इन योजनाओं के माध्यम से लाखों महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलकर आर्थिक निर्णयों में भागीदारी शुरू की है।

हालांकि, कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं:

- बाज़ारों तक सीमित पहुँच
- तकनीकी ज्ञान की कमी
- वित्तीय साक्षरता में कमी
- ग्रामीण परिवेश में सामाजिक बाधाएँ

निष्कर्षतः, राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए रोजगार के विविध अवसर सृजित हुए हैं। इन योजनाओं की निरंतर निगरानी, कौशल उन्नयन, और बाज़ार तक पहुँच सुनिश्चित कर, महिलाओं को अधिक सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

5. स्व-सहायता समूहों का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में स्व-सहायता समूह (Self-Help Groups - SHGs) ने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। इन समूहों ने महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है, बल्कि उनके सामाजिक, पारिवारिक और मानसिक दृष्टिकोण में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया है। SHGs के माध्यम से महिलाएँ आज बैंकिंग, उत्पादन, विपणन, नेतृत्व, और सामूहिक निर्णय लेने जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

5.1 आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि स्व-सहायता समूहों के ज़रिए महिलाएँ अपने छोटे-छोटे व्यवसाय जैसे सिलाई, बुनाई, डेयरी, अचार निर्माण, बेकरी, अगरबत्ती, जैविक खेती आदि प्रारंभ कर चुकी हैं। इनसे उन्हें नियमित आय प्राप्त हो रही है जिससे वे: बच्चों की शिक्षा में निवेश कर रही हैं, घर की ज़रूरतें खुद पूरी कर पा रही हैं, आपात स्थिति में ऋण के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह रहीं।

उदाहरण: बस्तर की "लक्ष्मी महिला समूह" ने शहद उत्पादन से ₹50,000

5.2 सामाजिक स्थिति में परिवर्तन SHGs में भाग लेने से महिलाएँ पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वासपूर्ण, मुखर और सामाजिक रूप से सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने: गाँव की पंचायत बैठकों में भाग लेना शुरू किया, घरेलू हिंसा या अन्य सामाजिक समस्याओं पर आवाज़ उठाई, आपसी सहयोग और नेतृत्व की भावना विकसित की।

वर्ष 2023 तक छत्तीसगढ़ में 30% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें महिला SHGs की सलाह से ग्राम विकास योजनाएँ बनती हैं।

5.3 शिक्षा और स्वास्थ्य में जागरूकता SHGs ने महिलाओं में स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और बच्चों की शिक्षा जैसे विषयों पर जागरूकता बढ़ाई है। समूह की बैठकें इन मुद्दों पर चर्चा और समाधान का मंच बन गई हैं। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण अभियान में भागीदारी, बच्चियों की पढ़ाई पर ज़ोर देना—इन सभी में SHG की महिलाएँ सक्रिय हैं।

5.4 बैंकिंग और वित्तीय समावेशन SHGs की महिलाओं ने बैंक खाता खोलना, ऋण लेना, ब्याज चुकाना और बचत करना सीखा है। इससे उनकी वित्तीय साक्षरता में वृद्धि हुई डिजिटल लेन-देन और UPI का उपयोग बढ़ा है।5.5 मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभावSHG से जुड़ने के बाद महिलाओं में आत्मविश्वास, मानसिक स्थिरता, तनाव नियंत्रण और सामूहिक सहयोग की भावना देखी गई है। पहले जो महिलाएँ घर से बाहर निकलने में संकोच करती थीं, वे अब: अपने उत्पाद बेचने बाजार जाती हैं, सरकारी प्रशिक्षण में भाग लेती हैं, नये उद्यम शुरू करने की सोच

रखती हैं। 5.6 परिवार में निर्णय लेने की भूमिका पहले महिलाओं की भूमिका घर के कामों तक सीमित थी। SHG से जुड़ने के बाद वे परिवार की आर्थिक योजनाओं, बच्चों की पढ़ाई, ज़मीन की खरीदी-बिक्री जैसे निर्णयों में भाग लेने लगी हैं।

उदाहरण: कोरबा की "साक्षी महिला समूह" की सदस्य सुनीता ने पति के साथ मिलकर मुर्गी पालन यूनिट शुरू की और अब वह गाँव की अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर रही है।

निष्कर्ष: स्व-सहायता समूहों ने छत्तीसगढ़ की महिलाओं के जीवन में सार्थक और बहुआयामी परिवर्तन लाया है। ये केवल आर्थिक इकाइयाँ नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति की वाहक बन चुकी हैं। यदि इन्हें उचित प्रशिक्षण, बाज़ार सुविधा और तकनीकी सहयोग दिया जाए तो ये महिलाएँ राज्य की आर्थिक रीढ़ बन सकती हैं।

6. महिला सशक्तिकरण के सामाजिक-आर्थिक परिणाम

महिला सशक्तिकरण का अर्थ केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना नहीं है, बल्कि उनका समाज में समान अधिकार, सम्मान और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करना भी है। जब महिलाएँ सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो इससे व्यक्ति, परिवार, समुदाय और संपूर्ण राष्ट्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में स्व-सहायता समूहों के माध्यम से हो रहा महिला सशक्तिकरण, सामाजिक ढाँचे में कई अहम परिवर्तन लेकर आया है।

6.1 परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार

महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने से पारिवारिक आय में वृद्धि होती है। इससे परिवार की जीवनशैली में सुधार होता है: बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, बच्चों की शिक्षा में निवेश, घर की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति।

महिला सशक्तिकरण से पारंपरिक पुरुष प्रधान मानसिकता में बदलाव आया है। महिलाएँ अब: पंचायत और ग्राम सभाओं में हिस्सा ले रही हैं, घरेलू निर्णयों में आवाज़ उठा रही हैं, पुरुषों के बराबर अधिकारों की माँग कर रही हैं।> वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ की 34% ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच निर्वाचित हुईं, जिनमें अधिकांश SHG से जुड़ी थीं।

6.3 शिक्षा और साक्षरता दर में वृद्धि

आर्थिक सशक्तिकरण के बाद महिलाएँ खुद की और अपनी बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देने लगी हैं। इसके कारण: किशोरी बालिकाओं का स्कूल में नामांकन बढ़ा है,वयस्क साक्षरता अभियान को गति मिली है,

महिलाओं में तकनीकी और डिजिटल साक्षरता भी बढ़ी है।

6.4 स्वास्थ्य और पोषण में सुधार स्वावलंबी महिलाएँ अब स्वास्थ्य और पोषण को लेकर अधिक सजग हैं। इससे: प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल में सुधार हुआ, बच्चों में कुपोषण की दर घटी है, नियमित स्वास्थ्य जाँच और टीकाकरण को बढ़ावा मिला है।

UNICEF की एक रिपोर्ट (2023) के अनुसार, जहाँ SHG सक्रिय हैं वहाँ मातृ मृत्युदर में 25% की कमी आई है।

6.5 अपराध और हिंसा में कमी जब महिलाएँ संगठित और जागरूक होती हैं, तो वे घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करती हैं। SHG की महिलाएँ आज:महिला हेल्पलाइन और पुलिस से संपर्क करने में संकोच नहीं करतीं, एक-दूसरे को कानूनी सहायता प्रदान करती हैं, स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

6.6 सामाजिक नेतृत्व में वृद्धि सशक्त महिलाएँ अब सिर्फ घरेलू निर्णय ही नहीं लेतीं, बल्कि वे सामाजिक नेतृत्व की भूमिका में भी आ रही हैं: स्वयंसेवी संस्थाओं का संचालन,ग्राम विकास योजनाओं में सुझाव देना,

सामुदायिक संसाधनों की देखरेख करना।> उदाहरण: रायगढ़ ज़िले की "मुक्ति महिला समूह" की अध्यक्ष ने जल संरक्षण योजना को सफलतापूर्वक लागू कराया।

निष्कर्ष: महिला सशक्तिकरण के सामाजिक-आर्थिक परिणाम दूरगामी और बहुपरिणामी होते हैं। इससे न केवल महिलाओं का जीवन स्तर ऊँचा होता है, बल्कि समाज में समानता, समावेशन और न्याय की स्थापना भी होती है। छत्तीसगढ़ में SHG के माध्यम से हो रहे सशक्तिकरण ने राज्य की सामाजिक बनावट को और अधिक न्यायसंगत और प्रगतिशील बना दिया है।

7. सरकारी योजनाएँ और उनके प्रभाव भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएँ लागू की गई हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ राज्य में इन योजनाओं के प्रभाव विशेष रूप से स्व-सहायता समूहों (Self-Help Groups - SHGs) के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं।

7.1 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) NRLM भारत सरकार द्वारा 2011 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को संगठित कर स्वावलंबी बनाना है।

प्रभाव: छत्तीसगढ़ में NRLM के अंतर्गत "बीजापुर", "दंतेवाड़ा", "बस्तर" जैसे पिछड़े जिलों में हज़ारों SHG बने हैं।

महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण सहायता, विपणन सुविधा आदि उपलब्ध कराई गई। महत्वपूर्ण आँकड़ा: 2023 तक छत्तीसगढ़ में NRLM के तहत 35 लाख महिलाएँ SHG से जुड़ चुकी थीं।

7.2 महिला शक्ति केंद्र योजना इस योजना के तहत ज़िला स्तर पर महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य: महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी देना उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना, कानूनी सहायता, परामर्श, स्वास्थ्य और पोषण सेवाएँ देना है।

प्रभाव: महिलाओं की योजनाओं में भागीदारी बढ़ी, शिकायत निवारण तंत्र अधिक सुलभ हुआ। 7.3 सखी – एक स्टॉप सेंटर योजना

यह योजना महिलाओं को एक ही स्थान पर सभी प्रकार की सहायता (कानूनी, चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, पुलिस, पुनर्वास) देने के उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई।

प्रभाव: महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में शिकायत दर्ज कराने की संख्या में वृद्धि, पीड़ित महिलाओं के लिए सहारा और सुरक्षा सुनिश्चित करना।

7.4 छत्तीसगढ़ महिला कोष योजना राज्य सरकार की यह विशेष योजना SHG को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराती है। साथ ही प्रशिक्षण और मार्केटिंग की सुविधा देती है।

प्रभाव: हजारों महिलाएँ लघु उद्योग, डेयरी, बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण आदि कार्यों में लग चुकी हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम।

उदाहरण: "दुर्ग" ज़िले की महिला समूहों ने इस योजना के अंतर्गत 50+ डेयरी इकाइयाँ स्थापित कीं।

7.5 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) प्रभाव:ग्रामीण महिलाओं द्वारा नए उद्यम शुरू किए गए,छोटे व्यापारों जैसे टेलरिंग, किराना, मोबाइल रिपेयरिंग आदि को बढ़ावा मिला। > आँकड़ा: वर्ष 2022-23 में छत्तीसगढ़ में 2.5 लाख महिलाओं को मुद्रा ऋण स्वीकृत हुआ।

7.6 राष्ट्रीय पोषण मिशन और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यद्यपि ये योजनाएँ सीधे SHG से संबंधित नहीं हैं, लेकिन इनके प्रभावों ने SHG से जुड़ी महिलाओं की जागरूकता, स्वास्थ्य और शिक्षा पर सकारात्मक असर डाला है।

निष्कर्ष: सरकारी योजनाएँ महिलाओं के जीवन में आर्थिक बदलाव के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में SHG के माध्यम से इन योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रहा है, जिससे महिलाएँ आज निर्णयों में भाग ले रही हैं, व्यवसाय चला रही हैं और समाज में नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं। सरकारी योजनाओं की निरंतरता, पारदर्शिता और समन्वित क्रियान्वयन से महिला सशक्तिकरण की दिशा में और अधिक मजबूती लाई जा सकती है।

8. चुनौतियाँ और समाधान

छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों (Self-Help Groups - SHGs) की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, लेकिन इसके समक्ष कई चुनौतियाँ भी हैं जो इनके प्रभाव को सीमित कर रही हैं। इन चुनौतियों को पहचानकर, उपयुक्त समाधानों की ओर बढ़ना आवश्यक है।

8.1 प्रमुख चुनौतियाँ

1. वित्तीय साक्षरता की कमी:ग्रामीण महिलाओं में बैंकिंग प्रक्रियाओं, ऋण पुनर्भुगतान, ब्याज दरों और वित्तीय योजनाओं की जानकारी की कमी होती है, जिससे वे गलत निर्णय ले बैठती हैं या योजनाओं का पूरा लाभ नहीं ले पातीं।

2. बाज़ार तक सीमित पहुँच:महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए उचित बाज़ार नहीं मिल पाता, जिससे आय सीमित रहती है और उत्पादों का मूल्य नहीं मिल पाता।

3. प्रशिक्षण की असमानता:कई SHG को पर्याप्त तकनीकी, व्यवसायिक, विपणन या उद्यमिता संबंधी प्रशिक्षण नहीं मिल पाता, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाती हैं।

4. सामाजिक बाधाएँ:आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक सोच हावी है, जिससे महिलाओं को निर्णय लेने, बाहर निकलने और व्यापार करने में रुकावट मिलती है।

5. संस्थागत समर्थन की कमी:SHG के लिए जिला स्तर पर उपलब्ध सहायता, निगरानी और मार्गदर्शन में निरंतरता की कमी होती है।

6. डिजिटल डिवाइड:डिजिटलीकरण के दौर में अधिकतर महिलाएँ तकनीकी ज्ञान से वंचित हैं जिससे वे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल पेमेंट का उपयोग नहीं कर पातीं।

8.2 संभावित समाधान

1. वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण:SHG सदस्यों को बैंकिंग, UPI, डिजिटल भुगतान, ऋण योजनाओं, ऑनलाइन विक्रय आदि विषयों पर निरंतर प्रशिक्षण दिया जाए।

2. स्थानीय स्तर पर विपणन केंद्र:ग्राम स्तर पर महिला उत्पादकों के लिए स्थायी विपणन केंद्र (permanent marketing stalls) की स्थापना हो ताकि वे अपने उत्पाद सीधे बेच सकें।

3. नियमित कौशल उन्नयन कार्यक्रम:सरकार और NGO के माध्यम से SHG को उद्योग की माँग अनुसार हुनर सुधार (skill upgradation) के कार्यक्रम चलाए जाएं।

4. परिवार और समुदाय में जागरूकता:सामाजिक सोच बदलने के लिए समुदाय और पुरुषों को भी शामिल करते हुए जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि महिलाएँ स्वतंत्रता से काम कर सकें।

5. SHG का डिजिटलीकरण: हर SHG को एक डिजिटल प्रोफाइल और बैंक से जोड़ा जाए, जिससे उनके लेन-देन पारदर्शी हो और वे सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें।

6. संस्थागत निगरानी और सहायता प्रणाली:

राज्य और जिला स्तर पर एक मजबूत SHG सहायता प्रकोष्ठ (Support Cell) की स्थापना हो, जो समय-समय पर निरीक्षण, मूल्यांकन और मार्गदर्शन दे।

निष्कर्ष: महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में SHG ने क्रांतिकारी परिवर्तन की नींव रखी है, लेकिन उनकी सफलता को व्यापक और दीर्घकालिक बनाने के लिए उपरोक्त चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। इसके लिए सरकार, समुदाय, गैर-सरकारी संगठनों और स्वयं महिलाओं को मिलकर समन्वय के साथ कार्य करना होगा, जिससे महिलाएँ न केवल आत्मनिर्भर बनें बल्कि सामाजिक परिवर्तन की वाहक भी बनें।

9. निष्कर्ष और सुझाव

9.1 निष्कर्ष (Conclusion):

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहाँ ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या की भागीदारी अधिक है, वहां महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों (Self-Help Groups - SHGs) ने एक परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। SHG के माध्यम से महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला है, बल्कि उन्होंने सामाजिक, पारिवारिक और राजनीतिक स्तर पर भी अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया है। SHG की सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि महिलाओं को संगठित किया जाए, उन्हें आर्थिक संसाधनों और प्रशिक्षण से जोड़ा जाए, तो वे न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, बल्कि समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। SHG के माध्यम से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता, वित्तीय अनुशासन, सामाजिक चेतना और आत्मविश्वास का विकास हुआ है।

हालाँकि, अभी भी इस दिशा में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं — जैसे वित्तीय साक्षरता की कमी, बाज़ार तक पहुँच में अड़चनें, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव और सामाजिक रुकावटें। इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान ही SHG की स्थिरता और सफलता की कुंजी है।

9.2 सुझाव (Suggestions):

SHG की प्रभावशीलता बढ़ाने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण:

SHG की महिलाओं को उद्यमिता, लेखांकन, विपणन, डिजिटलीकरण एवं प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाए।प्रशिक्षण में स्थानीय भाषा और सांस्कृतिक समझ को प्राथमिकता दी जाए।

2. वित्तीय सहायता और अनुदान:महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए।समय पर ऋण वितरण और पुनर्भुगतान तंत्र को सरल बनाया जाए।

3. बाज़ार से जोड़ने के प्रयास:SHG उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में पहुँचाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाए।स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए।

4. सामाजिक जागरूकता अभियान: ग्रामीण समाज में महिलाओं की भूमिका को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे उन्हें निर्णय लेने की आज़ादी और सम्मान मिले।

5. नीतिगत समर्थन: राज्य सरकार को SHG के लिए एक व्यापक नीति ढांचा विकसित करना चाहिए, जो उनके दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित कर सके। ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन को SHG के साथ समन्वय बढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाए।

6. सफल मॉडलों का दोहराव: राज्य और देश के अन्य भागों में सफल SHG मॉडलों का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ में लागू किया जाए।

7. मूल्यांकन और निगरानी तंत्र: SHG की प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए और रिपोर्ट के आधार पर योजनाओं में संशोधन किया जाए।

समापन (Closing Statement): SHG एक ऐसा सशक्त मंच बन गया है जो महिलाओं को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करता है। छत्तीसगढ़ की महिलाएं, जो कभी घरेलू दायरे तक सीमित थीं, आज आर्थिक विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बन रही हैं। अतः यह आवश्यक है कि SHG को नीतिगत, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर निरंतर समर्थन दिया जाए, जिससे न केवल महिलाएं सशक्त बनें, बल्कि राज्य और देश का सामाजिक-आर्थिक ताना-बाना भी मजबूत हो।

अन्य सुझाव (Recommendations):

1. स्थानीय संसाधनों का सतत दोहन।
2. जनजातीय युवाओं हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण।
3. पंचायतों को निर्णय प्रक्रिया में सशक्त बनाना।
4. पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का समन्वय।
5. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार के माध्यम से शांति स्थापना।

भविष्य के शोध हेतु सुझाव:

दीर्घकालिक अध्ययन: योजनाओं के दीर्घकालिक प्रभाव। जलवायु परिवर्तन और जनजातीय जीवन।

जनजातीय महिलाओं की आर्थिक भूमिका।

10 संदर्भ ग्रंथ सूची (APA Style).

1. Singh, K. S. (1994). The Scheduled Tribes. New Delhi: Oxford University Press.
2. Xaxa, V. (2005). Politics of Exclusion: Tribal Societies in India and the Modern State. New Delhi: Sage Publications.
3. Narayan, D. (2005). Measuring Empowerment: Cross-Disciplinary Perspectives. Washington, DC: World Bank Publications.
4. Singh, R. K. (2018). Self Help Groups and Economic Empowerment: A Study of Women in Tribal Areas. South Asian Journal of Social Studies, 12(4), 88–95.
5. Basu, A., & Das, A. (2018). Livelihood Opportunities among Scheduled Tribes in India. International Journal of Social Science and Economic Research, 3(9), 4998–5010.
6. 6.Kumar, R., & Singh, P. (2019). Economic Empowerment of Women through SHGs in Rural India. International Journal of Social Sciences and Economic Review, 7(1), 12–21. https://doi.org/10.31795/ijssr.2019.711
7. Thakur, R. (2019). Role of MGNREGA in Tribal Employment in Chhattisgarh. Indian Journal of Social Development, 19(1), 55–64.
8. Bhatia, B. S. (2020). Women Empowerment through Self Help Groups: A Study in Indian Context. New Delhi: Global Publishing House.
9. Sharma, A. & Kumar, R. (2020). Economic Development of Tribals in India: Issues and Challenges. Journal of Rural and Tribal Development, 8(2), 33–42.
10. World Bank. (2020). Pathways to Sustainable Livelihoods for Tribals in India. Washington, DC: The World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org
11. 10.Sharma, M., & Verma, A. (2020). Impact of Self-Help Groups on Socio-Economic Status of Rural Women in India. Indian Journal of Economics and Development, 16(3), 150–158. https://doi.org/10.5958/2322-0430.2020.00024.6
12. Mishra, S. (2021). Role of SHGs in Women Empowerment in Chhattisgarh: A Case Study. Journal of Rural Development and Administration, 33(2), 45–58
13. World Bank. (2021). Empowering Women through Self Help Groups: Global Lessons from India. Retrieved from https://www.worldbank.org
14. Ministry of Labour and Employment. (2021). Report on Employment and Unemployment Situation Among Social Groups in India. New Delhi: Government of India. Retrieved from https://labour.gov.in
15. 14NABARD. (2022). Tribal Development Programmes in India: A Study Report. Mumbai: National Bank for Agriculture and Rural Development.
16. 15. NABARD. (2022). Status of Microfinance in India 2021–22. Mumbai: National Bank for Agriculture and Rural Development. Retrieved from https://www.nabard.org
17. 16. Government of India. (2022). Annual Report 2021–22: Ministry of Tribal Affairs. New Delhi: Ministry of Tribal Affairs. Retrieved from https://tribal.nic.in
18. 17. Government of India. (2023). Annual Report 2022–2023: Ministry of Rural Development. New Delhi: Ministry of Rural Development. Retrieved from https://rural.nic.in